न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—486/2016/225 आर.टी.एक्ट (2016/00486)

1. सत्तार पुत्र भूरा (मृतक) जरिए वारिसानः—
   1/1 कालिया पुत्री स्व0 श्री सत्तार
   1/2 जाकिर पुत्र स्व0 श्री सत्तार
   1/3 हुरा पुत्री स्व0 श्री सत्तार
   1/4 अनिशा पुत्री स्व0 श्री सत्तार
   1/5 फिरोजा पुत्री स्व0 श्री सत्तार
   1/6 रूकैया पुत्री स्व0 श्री सत्तार
   1/7 हारून पुत्री स्व0 श्री सत्तार
   1/8 मुन्नी पुत्री स्व0 श्री सत्तार
   समस्त जाति नीलगर मुसलमान, निवासी सूरजपोल गेट, केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. हाजरा पत्नि याकूब (फौत)
3. शब्बीर पुत्र मोहम्मद याकूब
4. रशीद पुत्र मोहम्मद याकूब
5. रफीक पुत्र मोहम्मद याकूब
   समस्त जाति मुसलमान निवासीगण केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
6. शम्मा पुत्री मोहम्मद याकूब पत्नि शाहुद्दीन निवासी फतेहगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर।
7. सकीला पुत्री मोहम्मद याकूब पत्नि उस्मान निवासी बाहला गुलमण्डी मस्जिद के पास भीलवाडा।
8. बरकत बेवा छोटू
9. इस्लाम पुत्र छोटू
   दोनों कौम मुसलमान (नीलगर) निवासीगण सूरजपोल गेट के पास पुरानी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
10. बिलकिस पुत्री छोटू पत्नि जहूर मोहम्मद मुसलमान (नीलगर) निवासी फतेहगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर।
11. तारा पुत्री छोटू पत्नि इकबाल मुसलमान (नीलगर) निवासी बघेरा हाल निवासी भट्टा कॉलोनी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
12. शहनाज पुत्री छोटू पत्नि सलीम मुसलमान (नीलगर) निवासी रोडवेज बस स्टेण्ड के पीछे चूना भट्टा मदनगंज किशनगढ।

अपीलांट्स

बनाम

1. अब्दुल अजीज पुत्र करीमा मुसलमान (नीलगर) निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. उप पंजीयक, केकडी।

रेस्पोडेंटस

4. अब्दुल गफ्फार पुत्र भूरा (मृतक) जरिए वारिसानः—
   4/1 छुट्टन पत्नि स्व0 श्री अब्दुल गफार
   4/2 गुड्डी पुत्री स्व0 श्री अब्दुल गफार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

4/3 रहीसा पुत्री स्व0 श्री अब्दुल गफार
4/4 आबिद पुत्र स्व0 श्री अब्दुल गफार
5. छोटू पुत्र भूरा
6. रूस्तम पुत्र मोहम्मद याकूब
7. मोहम्मद रमजान पुत्र अलानूर (मृतक) जरिए वारिसानः–
7/1 उमर पुत्र स्व0 मोहम्मद रमजान
7/2 चांद पुत्र पुत्र स्व0 मोहम्मद रमजान
7/3 अल्ताफ पुत्र स्व0 मोहम्मद रमजान
7/4 सफी पुत्र स्व0 मोहम्मद रमजान
7/5 फरीदा पुत्री स्व0 मोहम्मद रमजान
8. सलीम पुत्र छोटू
समस्त जाति मुसलमान निवासीगण सूरजपोल गेट तहसील केकडी, जिला अजमेर।

परफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2016 राजस्व वाद संख्या 76/2015.

उपस्थितः–
1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3
4. श्री सुनील कडवासरा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7/1 से 7/7
5. रेस्पोडेंट संख्या 4/1 से 4/4, 5 व 6 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–21.03.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 76/2015 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक वाद विरूद्ध अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेंटस उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का व साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 15.9.2016 को विपक्षी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश पारित किए गए। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 76/2015 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 4/1 से 4/4, 5 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अपीलांट/रेस्पोडेंट आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चले आ रहे है व रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को टी0आई0 से पाबंद नहीं किया जा सकता। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में तीनों घटक प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति को देखा जाना अनिवार्य था, चूंकि विपक्षी का प्रथम दृष्टया कोई केस नही है, न ही विपक्षी को कोई क्षति हो रही है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है वह धारा 212 की मंशा के विपरित पारित किया है। विवादित आराजी मुतनाजा पर विपक्षी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने टी.आई से पावन्द कर दिया। जबकि कब्जे के आभाव में विपक्षी के पक्ष में टी. आई. जारी नहीं किया जा सकता। उपरोक्त वैधानिक दृष्टिकोण के विपरित जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। विपक्षी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित था। फिर भी ट्रायल कोर्ट ने अपीलांट को पावनद करने का आदेश पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 डिफेक्टीव प्रार्थना पत्र था तो डिफक्टीव प्रार्थना पत्र को किसी भी सूरत में स्वीकर नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। विपक्षी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार मूर्तिब नहीं किए जाने से प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक बिंदु के विपरीत जाकर टी0आई0 से पाबंद किए जाने का आदेश पारित किया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 76/2015 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2016 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 188, 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। उक्त आराजीयात प्रार्थी के दादा स्व0 इलाहीबक्ष पुत्र अलारख व पिता भूरा पुत्र इलाहीबक्ष की पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थी का हक व हिस्सा है तथा इसी तरह अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 18 संयुक्त रूप से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात प्रार्थी के दादा स्व0 इलाहीबक्ष के पश्चात उसके वारिसान व उत्तराधिकारी के रूप में प्रार्थी के पिता भूरा, सुभान, करीमा, अलानूर के नाम संयुक्त खातेदारी के रूप में इंद्राज हुई तथा इनकी मृत्यु के पश्चात उसके भाईयों के नाम संयुक्त खातेदारी में इंद्राज हुई। उक्त आराजीयात प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा है। उक्त आराजी प्रार्थी के दादा स्व. इलाही बक्ष पुत्र अलारख के स्वर्गवास के पश्चात् से प्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

के पिता करीमा पुत्र इलाहीबक्ष के नाम संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज हुई। जिसमें प्रार्थी के पिता सहित चारों के हिस्से के क्रमशः 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हिस्से में संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज हुई। प्रार्थी के पिता करीमा पुत्र इलाहीबक्ष की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी के पिता के 1/4 हिस्से में प्रार्थी की माता जुम्मी पत्नी करीमा, मोहम्मद याकूब पुत्र करीमा, प्रार्थी अब्दुल अजीज पुत्र करीमा के उक्त आराजी में बतौर वारिसान उत्तराधिकारी नाम इन्द्राज होने तथा किन्तु राजस्व अधिकारी की भूल से व सहवन से प्रार्थी अब्दुल अजीज का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ और प्रार्थी की माता जुम्मी पत्नी करीमा व भाई मोहम्मद याकूब का नाम इन्द्राज हो गया। जबकि प्रार्थी करीमा का पुत्र होने की वजह से उक्त आराजीयात में अपना हक व हिस्सा रखता है। इसके पश्चात् प्रार्थी की माता जुम्मी का स्वर्गवास हो गया तथा उक्त प्रार्थी के पिता के 1/4 हिस्से में से 1/8 व 1/8 प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होना था किन्तु यहां भी राजस्व अधिकारी की भूलवश प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ। इसके पश्चात् प्रार्थी के भाई अप्रार्थी सं. 4 लगायत 10 के पिता का स्वर्गवास हो गया और अप्रार्थी सं. 4 लगायत 10 ने उक्त प्रार्थी के भाई के हिस्से को अपने नाम इन्द्राज करवा लिया तथा अप्रार्थी सं. 4 अपनी पुत्रियों व अप्रार्थी सं. 5 लगायत 8 ने अपनी बहनों यानि अप्रार्थी सं. 9 व 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं करवाया अर्थात प्रार्थी के पिता के 1/4 हिस्से में स्वर्गवास के पश्चात् उक्त आराजीयात में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा व प्रार्थी की माता का 1/12 हिस्सा व प्रार्थी का 1/12 हिस्सा था तथा प्रार्थी की माता जुम्मी के स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थी का 1/8 हिस्सा व प्रार्थी के भाई मोहम्मद याकूब का 1/8 हिस्सा था। इसके पश्चात् प्रार्थी के भाई मोहम्मद याकूब के स्वर्गवास के पश्चात् उसके वारिसान व उत्तराधिकारी यानि अप्रार्थी सं. 4 लगायत 10 को प्रार्थी के भाई के हिस्से में 1/56, 1/56, 1/56, 1/56, 1/56, 1/56, 1/56, हिस्सा होता है तथा प्रार्थी का 1/8 हिस्सा होता है। इसी प्रकार प्रार्थी के चाचा सुभान पुत्र इलाही बक्ष की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी के चाचा के 1/4 हिस्से में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 17 के पिता छोटू यानि प्रार्थी के चाचा सुभान के पुत्र छोटू पुत्र सुभान के 1/4 हिस्सा उक्त आराजीयात की संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज हुआ तथा प्रार्थी के चाचा सुभान के पुत्र छोटू पुत्र सुभान की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजीयात अप्रार्थी 11 लगायत 17 यानि छोटू के वारिसान व उत्तराधिकारी के नाम उक्त आराजीयात में संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज हुई तथा अप्रार्थी सं. 11 लगायत 17 का क्रमशः 1/28, 1/28, 1/28, 1/28, 1/28, 1/28, 1/28 हुआ। इसी प्रकार प्रार्थी के तीसरे चाचा अलानूर पुत्र इलाहीबक्ष की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी के चाचा अलानूर के 1/4 हिस्से में अप्रार्थी सं. 11 की माता करीमन व मोहम्मद रमजान के नाम उक्त आराजीयात में संयुक्त खातेदारी के रूप में इन्द्राज जिसमें अप्रार्थी नं. 11 मोहम्मद रमजान के 1/8 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 11 की माता करीमन के 1/8 हिस्सा आया तथा अप्रार्थी सं. 11 की माता करीमन की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजीयात के हिस्से में 1/4 हिस्सा अप्रार्थी नं. 11 के नाम आया तथा उक्त आराजीयात में अप्रार्थी सं. 11 की माता करीमन की मृत्यु के बाद अप्रार्थी सं. 11 के नाम संयुक्त खातेदार में इन्द्राज हो गया। उक्त आराजीयात में प्रार्थी के हक में पुश्तैनी होने की वजह से संयुक्त कब्जा काश्त व स्वामित्व है, जिसमें अप्रार्थीगण 1 लगायत 18 उक्त आराजीयात के पड़ौसी है। वाद वर्णित आराजीयात का मौके पर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

विभाजन नहीं हो रखा है, परन्तु आपसी सहमती के अनुसार आराजीयात को अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे हैं व पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे हैं परन्तु अब अप्रार्थीगण सं.1 लगायत 18 की नियत प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने की वजह से नियत बद हो गई है तथा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 18 प्रार्थी के हिस्से की आराजीयात को हड़पना चाहते हैं तथा अप्रार्थी सं.1 लगायत 18 व प्रार्थी में ऐसा मनमुटाव हो गयाकि अब आरजीयात की संयुक्त रूप से काश्त करना असंभव हो गया है व मौके पर आराजी को काश्त करते समय व फसल प्राप्त करते समय आपस में विवाद पैदा होता रहता है तथा प्रार्थी के हिस्से की आराजीयात को बेचान करने की धमकियां दी जाती है जिससे वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा कराया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दिनांक 15.9.2016 को स्वीकार करते हुए निर्णय में कथन किए कि *" प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0ए0 व कस्बा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर के हाल खसरा नम्बर 5192, 5282, 5293 बाबत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाद विचाराधीन होने तक प्रार्थी के हिस्से की आराजी में उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ना ही वर्तमान रेकार्ड में प्रविष्टि के आधार पर बेचान हस्तांतरण करे। "*

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विनिश्चित करने के तीन मूलभूत बिंदु है यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति। हमारे द्वारा उक्त न्यायिक नजीरों एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीन बिंदुओं का विश्लेषण निम्नानुसार है–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– उक्त आराजीयात वाकै ग्राम/कस्बा केकडी जिला अजमेर स्थित जमाबंदी संवत 2069 वे 2072 के खाता संख्या 383 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 5192, 5282, 5293 रकबा क्रमशः 0.31 है0, 0.57 है0, 0.44 है0 भूमि है। जो कि पुश्तैनी भूमि है। चूंकि उक्त वाद का मूल निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है। इसलिए प्रकरण में अन्यथा वाद बहुलता नहीं बढे इसलिए अपीलांट को पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण को सिद्ध करने का भार वादी पर था जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी तय किया जाता है।

सुविधा का संतुलन :– चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रेकार्डेड खातेदार को विपरीत परिस्थितियों के अतिरिक्त पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण सिद्ध होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपूर्णीय क्षति :– अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किए जाने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तो यह भार अपीलांट पर है कि वह किस प्रकार से प्रभावित होगा। प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत किस प्रकार क्षति कारित हुई है या होगी इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ना ही वह अपनी अपील के माध्यम से यह बताने में सफल रहे है कि उन्हें किस प्रकार की क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।
प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदु वर्तमान रेस्पोडेंट के पक्ष में सिद्ध होते है।

न्यायिक दृष्टांत (1965 आर.आर.डी. 120, 1970 आर.आर.डी. 135, 1970 आर.आर.डी. 140, 1970 आर.आर.डी. 237, 1970 आर.आर. डी. 145, 1971 आर.आर.डी. 45 तुलछा बनाम बद्री)

अस्थाई निषेधाज्ञा का मूलभूत उद्देश्य विवादग्रस्त भूमि की अवस्था को हानि पहुंचाने व किसी प्रकार के परिवर्तन किए जाने से रोकना है तथा पक्षकारों के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। यह एक अस्थाई दादरसी है तथा न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर है।

यदि धारा 212 के अन्तर्गत स्वविवेक के अधिकारों के प्रयोग में अधीनस्थ न्यायालय ने सामान्य न्याय के सिद्धातों का सही प्रयोग किया है तो अपील व निगरानी न्यायालय को उक्त आदेश में दखल नहीं करना चाहिए। (1973 आर.आर.डी. 417; बहादुरमल बनाम जौहरीलाल, 1973 आर. आर.डी. 400 हीरा बनाम नत्थू)

अतः उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक नजीरों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न्यायालय हाजा को उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 76/2015 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2016 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इज़लास सुनाया गया।

21/03/2025
(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner